

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३४ सन् २०१९

### मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-८) विधेयक, २०१९

३१ मार्च, २००४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-८) अधिनियम, २०१९ है।

संक्षिप्त नाम:

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग रूपये दो करोड़ तिरेपन लाख छियासी हजार दो सौ छप्पन होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च, २००४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी।

३१ मार्च, २००४ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रूपये २,५३,८६,२५६ का दिया जाना।

विनियोग:

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, २००४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी।

#### अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(१)	(२)	(३)	
अनुदान का	सेवाएं और प्रयोजन	आधिकृत	योग
क्रमांक		मतदत्त	
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	रुपये	रुपये
		०	२६,५४७
			२६,५४७
२३.	जल संसाधन	रुपये	रुपये
		०	२,२८,८९४
			२,२८,८९४
३५.	पुनर्वास विभाग	रुपये	रुपये
		१,२२,६३९	१,२२,६३९
६७.	लोक निर्माण विभाग	रुपये	रुपये
		०	४,६४,१७१
			४,६४,१७१

(१)	(२)	(३)	
	रुपये	रुपये	रुपये
६८. पंचायत एवं ग्रामीण विकास	१,२३,६६,२५०	०	१,२३,६६,२५०
८४. राजस्व विभाग	४,७२,५३८	०	४,७२,५३८
९४. नगरीय प्रशासन एवं विकास	१,१७,०५,२१७	०	१,१७,०५,२१७
योग :	२,४६,६६,६४४	७,१९,६१२	२,५३,८६,२५६

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित उसके अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग के लिए उपबंध करने हेतु पुरास्थापित किया जा रहा है, जो उक्त निधि पर भारित विनियोग से तथा ३१ मार्च, सन् २००४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये राज्य सरकार के व्यय के हेतु विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों से अधिक हुए व्यय की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :  
तारीख १६ दिसम्बर, २०१९.

तस्तु भनोत  
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित।”

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.